



आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

मिक्लम स्वंय सहायता समूह

एस ,एच, जी, नाम	मिक्लम स्वंय सहायता समूह
बी, एम, सी, सब कमेंटी	ताबो
एफ, टी, यू, रेज	काजा
डी, एम, यू	सिपिति
एफ सी सी यु/सर्किल	षिमला

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन एव आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका वित्तपोषित)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	कार्यकारिणी सांराष	1-2
02	परिचय	3
03	स्वंय सहायता समूह की सूची	4
04	समूह का विवरण	5
05	ग्रम की भौगोलिक स्थिति	6 – 7
06	आय सृजन गतिविधियो से सम्बंधित उत्पादन	8
07	उत्पादन हेतु नियोजन	9
08	बिक्री का विवरण	10
09	समूह के मध्य प्रबंधन का विवरण	10
10	षविति दुर्बलता अवसर जोखिम का विषलेषण	11
11	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	11 – 13
12	उद्यम हेतु अनुमानित लागत	14
13	उद्यम लागत	14
14	समूह की वितिय आवष्यकता	14
15	सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइंट)	15

16	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची	16
17	समूह का सहमति पत्र	17
18	समूह के सदस्य का फोटो	

1, परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी बड़ी नदिया व घाटिया प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाती है प्रदेश की कुल आबादी 30 लाख है। इस का भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्वालिक पहाडियों के ऊपरी हिमालय के शीत मरुस्थल तक फैला हुआ है। यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल के 12 जिलों में स्पिति जिला पर्यटन कृषि व जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है।

गांव डाक्कर, डाक्कर, डाक्कर तहसील स्पिति जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश में स्थित है जिले की घाटियों को भैतिक सरचना के आधार पर तरह तरह के नाम दिये गए है जिस में एक नाम ताबो है। ताबो स्पिति मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दुरी पर है।

गांव डाक्कर मे लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी है। अधिकतर लोगो के पास बहुत का जमीन है जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह अच्छे ढग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है गांव मे लोग बुनाई का कार्य भी कर रहे है। परंतु उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता है। इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है इस समस्या को दुर करने के लिए व उत्पादको का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उतम किस्म के यंत्रो के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उनकी जानकारी की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एवं प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव मे ग्राम वन समिति डाक्कर के गठन के बाद लोगो को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया परियोजना के माध्यम से डाक्कर में 02 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया मिकलम स्वयं सहायता समूह व छोजिन स्वयं सहायता समूह के रूप में किया गया इसके बाद मिकलम स्वयं सहायता समूह कंटरिगका कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 08 सदस्य शामिल हुए।

गांव डाक्कर

2. मिकलमस्वयं सहायता समूह की सूची।

क्रमांक	सदस्यो का नाम	पद	आयु	लिंग	योग्यतक	श्रेणी	संम्पर्क
01	डोलमा	प्रधान	54	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	7018691567
02	तेजिन यूरलो	सचिव	32	स्त्री	बी.ए.	एस.टी.	8278823562
03	पदमा	सदस्य	35	स्त्री	बारहवी	एस.टी.	9015457922
04	डोलकर	सदस्य	40	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	7018962865
05	छेवाग बुटित	सदस्य	45	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	
06	गटुक जागमो	सदस्य	48	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	

07	डोलमा छेरिंग	सदस्य	50	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	
08	छेरिंग छोड़न	सदस्य	52	स्त्री	अनपढ़	एस.टी.	

3. मिक्लम स्वयं सहायता समूह का विवरण

01	समूहकानाम	मिक्लम स्वयं सहायता
02	ग्राम वन विकाससमिति	स्पिति
03	वन परिक्षेत्र क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	ताबो
04	वन मंडल मंडलीय प्रबंधन इकाई	स्पिति
05	गंव	डाक्कर
06	विकासखड़	काजा
07	जिला	लाहौल स्पिति
08	समान सूची समूह में कुल सदस्यो की संख्या	08
09	समूह की गठन की तिथि	2021
10	बैंक खाता संख्या	40775960584
11	बैंक का नाम और शाखा जंहा समूह का खाता संचलित है।	KCC Bank Kaza
12	स्वयं सहायता समूह की मासिक बचत	100
13	कुल बचत	800
14	सदस्यो को आपस में दिया गया ऋण	
15	नगदी जमा करने की सीमा	
16	चुकौती की स्थिति	

समूह का फोटो



4. गांव की भौगोलिक स्थिति

01	जिला मुख्यालय से दूरी	47 किलोमीटर लगभग
02	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	काजा 47 किलोमीटर लगभग
03	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	काजा
04	08 किलोमीटर लगभग	काजा 47 किलोमीटर लगभग
05	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पादन का विक्रय विपणन किया जाएगा	काजा, रामपुर, कूल्लू, मनाली।
06	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबंध में गांव की कोई विशेष सूचना	
07	पिछले पूर्व और आगामी संपर्कों की स्थिति	

(1) व्यवसाय योजना की आवश्यकता

ग्राम वन विकास समिति ताबो में महिलाओं का पहले से गठित समूह है जिस में समूह की सभी महिलाएं खड़ी का व कटरिंग कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से बुनाई की मशीन प्रदान करने तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(2) व्यवसाय योजना के उद्देश्य

समूह के सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
उत्पादन को उचित बाजार से जोड़ना।
सभी सदस्य को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
बुनाई व हथकरघा व्यवसाय की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
आजीविका की बढ़ोतरी।

(3) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल है।

बुनाई कोटी स्वेटर बच्चों के सेट टोपी जुराबे इत्यादी शामिल है।
हथकरघा गलीचे बनाने का कार्य शामिल है।

(4) सामुदायिक गतिशीलता

इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थी की छटनी की गयी है।

(5) समूह का निर्माण

संख्य सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया तथा समूह का अध्यक्ष सचिव का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह के सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(6) क्षमता का निर्माण

लाभार्थी की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

(7) मशीन व खड़ी इत्यादी का वितरण।

समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीनें उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढंग से कार्य कर सकें।

(8) बाजार से जोड़ना

अपने उत्पादन बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है त्रिकय के लिए लोकल बाजारों के दुकानदारों से जोड़ कर मेलों में प्रदर्शनी लगाकर आय कमाने हेतु जो

जाएगा। अधिक उत्पादन होने पर कूल्हू व रामपुर बाजार के क्षेत्र में दुकानदारों से जुड़ कर कार्य करेगी।

(9) वित्तीय संसाधनों एवं संगठित विभागों से जोड़ना।

व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा।

(10) बाजार की जानकारी।

काजा, रामपुर, कूल्हू, मनाली के क्षेत्रों में दुकानदारों के साथ जुड़ कर कार्य करेगी।

(11) आपेक्षित सहायता एवं संसाधन।

वित्तीय प्रबंध (पूंजीगत व्यय का 75% श्रेणी बार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी शेष 25% सदस्य द्वारा

वहन किया जाएगा।

कुल: 08 सदस्य।

तकनीकी : तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर टेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान परियोजना द्वारा दिया जाएगा।

(12) आनुमानित लाभ।

महिलाओं के लिए घरेलू रोजगार उपलब्ध होगा।

समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती हैं।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादन का विवरण।

1	उत्पादन का नाम	खड़ी / कटरिंग
2	उत्पादन की पहचान की पद्धति	
3	स्वयं सहायता समूह / समान सूची समूह / सदस्यों की सामूहिक सहमति।	

6. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण।

सर्वप्रथम स्वयं सहायता के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी ,स्वेटर, जुराबे ,बेबी सेट, टोपी ,मफलर, आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत समूह के सदस्य द्वारा उत्पादन तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगी।

समूह के सभी सदस्य मिल कर कार्य करेंगे।

समूह में सभी सदस्य विपणन करेंगे और कच्चा माल भी लाएंगे।

समूह के सभी सदस्य प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे काम करेंगी।

7. उत्पादन हेतु नियोजन।

प्रतिमाह कार्य दिवस :	30
प्रतिमाह कार्य करने वाले व्यक्ति :	08
कच्चे माल के स्रोत:	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
अन्य संसाधन के स्रोत:	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।

1	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन प्रतिदिन 4से 5 घण्टें कार्य करेंगी।	
2	प्रतिचक्र कार्यकताओं की आवश्यकता सख्यां	

3	कच्चे माल के स्रोत	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली ।
4	अन्य संसाधन के स्रोत	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली ।

नोट : स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है। तथा इस व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है।

8. बिक्री का विवरण।

1	संभावित बाजार स्थल	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली ।
2	इकाई से दूरी	काजा : 47 रामपुर : 305 कूल्लु : 222 मनाली : 231
3	बाजार में उत्पादन की मांग	
4	बाजार में पहचान की प्रक्रिया	लोकल बाजारों को चिन्हित किया गया है। जैसे की काजा कूल्लु रामपुर मनाली
5	उत्पादन के संभावित खरीदार	मांग के अनुसार उत्पादन घटाया या बढ़ाया जाएगा।
6	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्थानीय निवासी
7	उत्पादन का विपणन तंत्र	गाँव व शहर की महिलाएं पुरुष
8	उत्पादन की विपणन रणनीति	2, समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाएगा।

9. समूह के सदस्य के मध्यप्रबंधन का विवरण।

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे।

समूह के सदस्य आपसी सहमती से कार्य करगी।

कार्य कुशलता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।

विपणन करने वाले सदस्य को कुल 5% कमीशन दी जाएगी।

प्रधान व सचिव प्रबंधन का मूल्यांकन एवं आवलोकन समय समय पर करते रहेगे।

10. शक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विप्लेषण।

शक्ति।

महिलाओं मे कार्य करने की लगन है।
पहले से ही सभी महिलों का काम करती है।
समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता।

महिलाएं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती है।
कार्य के लिए 4 या 5 घण्टें ही निकाल पाना।

अवसर।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढोतरी होगी।
उत्पादको की लोकल व शहरों में मांग है।
काजा , कूल्नु, रामपुर,मनाली , चंद्रताल ,पर्यटक स्थल है।
अच्छे उत्पादन तैयार करना।

चुनौती।

बजार की स्थिति को ना समझना।
अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।
उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।
अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यों में व्यवस्था।

11. संभावित चुनौतियों तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण।

क,स	जोखिम / चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
1	बजार की स्थिति को ना समझना।	समय – समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।
2	अच्छे उत्पादन तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपंसद उत्पाद तैयार करना।
3	अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केंद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व पुरु में कम लाभ कमाना।
4	उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेशा संपर्क में रहना।
5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यो में ज्यादा व्यवस्था।	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के कार्य के साथ साथ बुनाई में ध्यान देना।
6	समूह में बंटवारा	समूह में बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना।
7	उत्पादन की गुणवत्ता घटने से बिक्री कम हो सकती है।	गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मांपदंड रखने होंगे।

12. उद्यम हेतु अनुमानित लागत।

(1) पूजीगत व्यय।

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश 75%	लाभार्थी अंश 25%
1	गलिचे/खड़ी	08	16000	128000	96000	32000
2	Catering/चूल्हा	01	7000	7000	5250	1750
3	स्टीमर	01	5000	5000	3750	1250
4	ग्लास	30	60/01	1800	1350	450

5	थाली	30	130/01	3900	2925	975
योग				145700	109275	36425

(2) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए) एक महीना लिया गया है।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि
1	कच्चा माल घागा	किलोग्राम	60	380	22800
2	सुतर घागा	किलोग्राम	60	280	16800
3	मजदूरी	दिन	30	350	10,500
4	अन्य खर्चा पैकेंज, स्टीकर, बिजली कमरा किराया. परिवहन खर्चा इत्यादि				10000
5	योग				60100

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि
1	मिक्स सबजियाँ / दालें	किलोग्राम	20	5000	100000
2	मसालें	किलोग्राम	05	2000	10000
3	प्याज, टमाटर, लहसन आदि		40	6000	240000
4	अन्य खर्च, पैकेंज, बिजली, कमरा किराया, परिवहन खर्चा आदि।				10000
5	योग				350000

(3) उत्पादन की लागत।

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	कुल आवर्ती लागत	410100
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	1214
3	योग	411314

(4) विक्रय मूल्य की गणना।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
---------	-------	------	--------	----	--------

1	उत्पादन की लागत				
2	गलिचे	नंबर	10	4000	40000
3	गलिचे	नंबर	10	8000	80000
4	कुल लागत		20नग		120000

1	उत्पादन की लागत				
2	खाना/थाली	नंबर	100 प्लेट	180	18000
3	खाना/मोमोस थुकपा	नंबर	150 प्लेट	120/170	43500
4	कुल लागत				61500

(5) उत्पादन की अनुमानित विक्रय।

01	गलिचे	नंबर	10	8000	80000
----	-------	------	----	------	-------

01	खाना/थाली	नंबर	100	200	20000
01	खाना/मोमोस थुकपा	नंबर	150	300	45000
	योग				145000

निश्चित लाभ (प्रतिषत में)

01	गलीचा	80%	20	3200	64000
----	-------	-----	----	------	-------

01	खाना	80%	100	144	14400
01	खाना	80%	150	232	34800

13. उद्यम हेतु लागत – लाभ विशलेष्ण (एक चक्र के लिए)

क्रमांक	मद	धनराषी
---------	----	--------

	पूजीगत व्यय पर 10%वार्षिक ह्रास	1214
	आवर्ती व्यय	410100
	कमरा किराया	3000
	परिवहन	2000
	मजदूरी	11000
	कच्चा माल धागा	39600
	अन्य समग्री	350000
	कुल उत्पादन (न. में)	10 / 250
	उत्पादन की विक्रि प्रतिमाह	10 / 250
	उत्पादन की बुनाई से आय	145000
	कुल लाभ = बिक्री मूल्य- (पूजीगत मूल्य ह्रास+ आवर्ती मूल्य) = 145000- (1214+410100)	266314
	उत्पादन की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी +कमरा किराया। = 266314 + 11000 +3000	40314

यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है

14.धन की आवश्यकता।

क्रमांक	विवरण	राशि
1	परियोजना द्वारा पूजीगत व्यय का 75%अनुदान	109275
2	लाभार्थी अंश 25%पूजीगत व्यय	36425
3	अन्य व्यय	5000
	प्रषिक्षण	55000
	योग	205700

15. सम विच्छेदन बिन्दु (ब्रेक इविन प्वाइन्ट) की गणना।

ब्रेक इविन प्वाइन्ट = पूजीगत व्यय/ विक्रय मूल्य – आवर्ती व्यय

$$= 145700 / 145000 - 410100$$

$$=145700/265100 =$$

$$1.81 \text{ माह} = 1.81 \times 30 = 54 \text{ दिन लगभग।}$$

उपरोक्त अनुपात में 10/250 नग का कामकरने पर ब्रेक इवन पॉइंट 54से 60 दिनों में प्राप्त होगा ।

16. स्वयं सहायता समूह नियमों की सूची।

1. समूह का काम :खड़ी/कैंटरिंग
2. समूह का पता : गाँव डाककर, डाकघर डाककर, तहसील सिपिति जिला लाहौल सिपिति हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुल सदस्य: 08
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ; 14 अक्टूबर
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 10 तिथि को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा।
9. स्वयं सहायता समूह का खाताहिमाचल प्रदेश KCCB KAZAशाखा में खोला है खाता संख्या नंबर40775960584है।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी।
11. समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस महिला को समूह से निकाल दिया जाएगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा।
13. भविष्य में स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।
16. अगर सदस्य किसी कारणवशवष समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नहीं
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।

22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बांटी जाएगी।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit)के कार्यालय में देनी होगी।

सहमति पत्र

समूह का सहमति पत्र

आज दिनांक 17/11/22 को मिंकलम स्वंय सहायता समूह की बैठक की गई। बैठक प्रधान श्रीमती डोलमा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि समूह की आय को बढ़ाने के लिए "कुटीरिंग" का कार्य करेगी और आजीविका सुधार योजना (JICA) से जुड़ने की सहमति प्रदान करते हैं।

PRESIDENT
TSE S.H.G.
DHANKHAR

प्रधान

डोलमा

मिंकलम स्वंय सहायता समूह

PRESIDENT
MIKLAM S.H.G.
DHANKHAR

सचिव

सचिव
21/2/21

मिंकलम स्वंय सहायता समूह

President
B.M.C. Sub Committee

गोविंद अंगारप

Divisional Forest Officer
Spiti Wildlife Division
at Kaza

मिक्लम स्वंय सहायता समूह का फोटोग्रफ ।

				
तेंजिन यूरलो	डोलमा छेरिग	डोलकर	छेरिग छोडन	गटुक जागमो
				
	पदमा दिकित	छेवाग भुटित		